

सामाजिक जागरूकता में समाचार पत्रों का योगदान : भारत के संदर्भ में एक विशेष अध्ययन

Dr. Preeti Saxena

Assistant Professor (VSY) Sociology

सार :-

आज का समय परिवर्तित हो चुका है। समाचार पत्र व मानवाधिकार एक दूसरे के पूरक हो गये हैं। संचार माध्यमों के विकास के साथ-साथ समाचारों में भी मानवाधिकारों की सशक्त आवाज जोरों से उठनी शुरू हो गयी है मानवाधिकारों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता न इसे विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। इसी जागरूकता ने समाचार पत्रों को मानवाधिकारों के प्रति उत्तर दायित्व का अनुभव कराया है कि अब समाचार पत्रों की पूर्ण जिम्मेदारी है कि मानवाधिकारों के पक्ष में जो आवाज उठ रही है वह उचित ही है आवश्यकता यह है कि समाचार पत्र व मीडिया इसमें अपना पूर्ण योगदान दें ताकि इस मानवतापरक अभियान को प्रभावशाली ढंग से लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। समाज के शिक्षित व जागरूक वर्ग को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। यह अध्ययन समाचार पत्रों के माध्यम से मानव अधिकारों में जागरूकता लाना है मानवाधि कारों की जानकारी सामान्य जन को मात्र समाचार पत्रों से ही बेहतर ढंग से प्राप्त हो सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि संचार के क्षेत्र में समाचार पत्र शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम है जिसका प्रभाव अन्य सभी माध्यमों से ज्यादा होता है। आज भारत में समाचार पत्रों का विकास तेजी से हो रहा है। समाचार पत्र-पत्रिकाओं ने सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रस्तावना :-

लोकतंत्र में मानवाधिकारों का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जो इसे प्रभावशाली व मानवपरक स्वरूप प्रदान करता है। हिन्दी दैनिक पत्रों की दुनिया आज बदल चुकी है।

जैसा कि सुप्रसिद्ध रचना ध्यक्तिक पेपर्सश के मिस्टर पाक कहते हैं कि समाचार पत्र एक शक्तिशाली संरथा है महाशय और इटइन्सविल गजट का संपादक इस कथन से पूर्णतः अपनी सहमति प्रकट करता है। मानवाधि कारों की जानकारी सामान्य जन को मात्र समाचार पत्रों से ही बेहतर ढंग से प्राप्त हो सकती है।

इसका मुख्य कारण यह है कि संचार के क्षेत्र में समाचार पत्र शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम है जिसका प्रभाव अन्य सभी माध्यमों से ज्यादा होता है। आज भारत में समाचार पत्रों का विकास तेजी से हो रहा है। नित नये-नये समीकरण निकल रहे हैं। जैसे-जैसे लोगों की आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। वैसे-वैसे साक्षरता में भी वृद्धि हो रही है, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में भी वृद्धि हो रही है यह इस बात को स्पष्टतः परिलक्षित करता है कि वर्तमान सूचना विस्फोट का यह काल अपनी सही दिशा की ओर अग्रसर सुप्रसिद्ध अमेरिका पत्रिकार जेम्स टेस्टन ने अपने ग्रन्थ "द आर्टिलरी ऑफ द प्रेस" में लिखा है कि जनतंत्र में समाचार इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसे केवल समाचार पत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। यही बात मानवाधिकार पर सही सिद्ध होती है कि मानवाधिकार का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि उसे किसी एक माध्यम के रहमो— करम पर छोड़ा नहीं जा सकता है।

समाचार की प्रकृति व अर्थ :-

सूचना का आदान-प्रदान या फिर कोई बात किसी दूसरे तक पहुंचाना आज चुटकी बजाते ही संभव है। हम आश्चर्य चकित हो जाते हैं, जब विश्व के किसी दूर देश की खबर चंद मिनटों में ही हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। अगले दिन अखबार उससे जुड़ी सारी जानकारियों के साथ सामने होता है। सूचना तकनीक के विकास ने सूचनाओं को मानो पंख लगा दिए हैं। इधर कोई घटना घटी, उधर तुरंत ही वह जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सूचना तकनीक जैसे जैसे और आगे बढ़ रही है, आम आदमी की अपेक्षाएं भी वैसे ही चरम पर पहुंच रही हैं। एक जमाने में यह सब इतना आसान नहीं था। वैसे, यह भी माना जाता है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही सूचना देने लेने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। आज सूचना समाचार की शक्ल में बहुत कम समय में आम आदमी के पास पहुंच रही है। खबरें मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं। छोटी सी बात हो या फिर बड़ा खुलासा। निजी जीवन की बातें हो या फिर देश दुनिया से जुड़े तथ्य, सूचना का सबको इंतजार रहता है। सूचना सबको चाहिए। उसके बगैर विकसित मानव समाज की कल्पना मुश्किल है। सूचना तब से बेहद प्रभावी मामला हुआ है, जब से प्रिंटिंग कला का विकास हुआ। समाचार पत्र-

पित्रकाओं ने सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद रेडियो, टीवी, फ़िल्म, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल जैसी तमाम चीजें इसके साथ जुड़ती चली गई और देखते देखते सूचना का संसार ही बदल गया है।

प्राचीन काल में समाचार पत्र :—

प्राचीन काल में समाचार पाने और भेजने के बहुत से साधन थे जैसे कबूतर, घोड़ा, बाज, संदेशवाहक, भ्रमणकारी, पंडित तथा फकीर आदि देवताओं के संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने का काम भी नारद जी करते थे वे तीनों लोकों में समाचारों को फैलाते थे। वर्तमान समय के नारद हैं समाचार पत्र छापाखाना के आविष्कार के बाद समाचार पत्र छपने लगे। मुगलों के जमाने में भारत का पहला समाचार पत्र अखबार इ मुअल्ले निकला था जो हाथ से लिखा जाता था समाचार पत्रों का उद्भव 16 वीं शताब्दी में चीन में हुआ था। संसार का सबसे पहला समाचार पत्र पैकिंग गजट है, लेकिन यह समाचार पत्र का नितांत प्रारंभिक और प्राचीन रूप है। लेकिन समाचार पत्र के आधुनिक और परिष्कृत रूप का सबसे पहले प्रयोग मुद्रण के रूप में 17 वीं शताब्दी में इटली के बेसिन प्रांत में हुआ था। उसके समाचारों को दूसरे स्थानों तक भी पहुँचाया गया था। फिर धीरे-धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी इसका विकास बढ़ता गया था। समाचार पत्र का मुद्रण के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। जिस तरह से मुद्रण यंत्रों का विकास होता गया उसी तरह से समाचार पत्रों का भी विकास उत्तरोत्तर होता है। आज समाचार पत्र राष्ट्रिय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसार में प्रयोग में लाये जाते हैं।

समाचार पत्रों के लाभ:—

समाचार पत्र समाज के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। समाचार पत्र विश्व में आपसी भाईचारे और मानवता की भावना उत्पन्न करते हैं और साथ-ही-साथ सामाजिक रुद्धियों, कुरीतियों, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यही नहीं, ये लोगों में देशप्रेम की भावना भी उत्पन्न करते हैं। ये व्यक्ति की स्वाधीनता और उसके अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। चुनाव के दिनों में समाचार पत्रों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाती है। आज के समय में किसी भी प्रकार की शासन पद्धति ही क्यों न हो लेकिन समाचार पत्र ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति निकसन के विरुद्ध समाचार पत्रों ने ही तो जनसत तैयार किया था। इसी तरह से समाचार-पत्रों के संपादकों और पत्रकारों ने अन्याय का विरोध करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। समाचार पत्र विविध क्षेत्रों में घटित घटनाओं के समाचारों को चारों ओर प्रसारित करने के सशक्त माध्यम हैं। प्रत्येक देश के शासकों के विभिन्न कार्यक्रमों को समाचार पत्र यत्र-तत्र सर्वत्र प्रसारित करते हैं। संसार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विश्व संगठनों की विभिन्न गतिविधियों को समाचार पत्रों द्वारा ही दूर-दूर तक पहुँचाया जाता है।

व्यापार वृद्धि रु समाचार पत्र व्यापार के सर्वसुलभ साधन होते हैं। क्रय करने वाले और विक्रय करने वाले दोनों ही अपनी सूचना का माध्यम समाचार पत्रों को बनाते हैं। समाचार पत्रों से जितना अधिक लाभ साधारण जनता को होता है उतना ही लाभ व्यापारियों को भी होता है। बाजारों का उतार-चढ़ाव भी इन समाचार पत्रों की सूचनाओं पर चलता है। सभी व्यापारी बड़ी उत्कृष्टा से समाचार पत्रों को पढ़ते हैं।

शिक्षा के साधन रु समाचार पत्र केवल समाचारों का ही प्रसारण नहीं करते हैं अपितु बहुत से विषयों में ज्ञानवर्धन भी करते हैं। बहुत सहायक होते हैं। नियमित रूप से समाचारों को पढ़ने से बहुत लाभ होते हैं। समाचार पत्रों को पढ़ने से इतिहास, भूगोल, राजनीति, साहित्य, विज्ञान और मानवदर्शन का ज्ञान सहज में ही हो जाता है। विभिन्न साप्ताहिक, पार्श्वक व मासिक पत्रिकाओं में अनेक साहित्यिक व दर्शनिक लेख निकलते रहते हैं जो विभिन्न अनुभवी एवम् विद्वान लेखक द्वारा संकलित होते हैं। दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय में समसामयिक विषयों पर अत्यंत सारगर्भित विचार व रहस्यपूर्ण जानकारी निकलती रहती है, जिससे उस विषय का गहन ज्ञान प्राप्त होता है।

मानवाधिकार :—

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानव अधिकार है। इन अधिकारों की मांग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे इनके बारे में उस देश (जहाँ का वह निवासी है) के संविधान में प्रावधान किया गया हो या नहीं इनकी उत्पत्ति का स्त्रोत मानवीय विवेक न होकर मानव का मानवोचित गुण है। इनके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जैसे अन्य अधिकार भी शामिल हैं। इन्हीं अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने साल 1948 में एक घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय और भाषा आदि से भिन्न होते हैं।

मानव अधिकारों के प्रकार :-

वैसे तो मानव अधिकारों की कोई एक निश्चित संख्या नहीं है। विविध प्रकार के समाजों में जैसे-जैसे नए खतरे और चुनौतियाँ सामने आ रहीं हैं, वैसे-वैसे मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक घोषणापत्र में उल्लिखित मानवाधिकारों के बारे में जानेंगे। इस घोषणापत्र में कुल 30 अनुच्छेद हैं, जिनमें उल्लिखित मानवाधिकारों को सामान्य तौर पर नागरिक-राजनीतिक और आर्थिक-सामाजिक- सांस्कृतिक श्रेणियों में बाँटा गया है। इसके अनुच्छेद-3 में व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के अधिकारों की बात कही गई है जो अन्य सभी अधिकारों के उपभोग के लिये जरूरी हैं।

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार— सार्वभौमिक घोषणापत्र में अनुच्छेद 4 से लेकर अनुच्छेद 21 तक नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इनके अंतर्गत आने वाले प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं—

- दासता से मुक्ति का अधिकार
- निर्दयी, अमानवीय व्यवहार अथवा सजा से मुक्ति का अधिकार
- कानून के समक्ष समानता का अधिकार
- प्रभावशाली न्यायिक उपचार का अधिकार
- आवागमन तथा निवास स्थान चुनने की स्वतंत्रता
- शादी करके घर बसाने का अधिकार
- विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार
- मनमर्जी की गिरफ्तारी अथवा बंदीकरण से मुक्ति का अधिकार
- न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार
- व्यवहार में अवांछनीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध शांतिपूर्ण ढंग से किसी स्थान पर इकट्ठा होने का अधिकार
- शरणागति प्राप्त करने का अधिकार
- राष्ट्रीयता का अधिकार
- अपने देश की सरकारी गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार
- अपने देश की सार्वजनिक सेवाओं तक सामान पहुँच का अधिकार

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अतिरिक्त, घोषणापत्र के अगले छह अनुच्छेदों में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। इनके अंतर्गत आने वाले प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं—

- सामाजिक सुरक्षा का अधिकार समान काम के लिये समान वेतन का अधिकार
- काम करने का अधिकार
- आराम तथा फुर्सत का अधिकार
- शिक्षा तथा समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार

उद्देश्य :—

1. मानवाधिकार और समाचार पत्रों का अध्ययन करना।
2. समाचार पत्रों का बदलता रूप का अध्ययन करना।

मानवाधिकार और समाचार पत्रों का अधिकारः—

यह वह अधिकार होते हैं जो मनुष्य की प्रकृति में निहित होते हैं तथा जो उस मनुष्य जीवन की जीने के लिए नितांत आवश्यक होते थे ये व्यक्ति की योग्यताओं के पूर्ण विकास के साथ-साथ मानवीय योग्यताओं, वृद्धि तथा चेतना के प्रयोग द्वारा अपने हितों और आवश्यकताओं को पूर्ण करने की आवश्यक शर्त होती हैं।

जन्म से ही मानव प्रकृति होती है कि वह जिसे नहीं जानता, उसे जानने की उससे सदैव प्रबल जिज्ञासा होती है। आशय यह है कि नयी जानकारी के प्रति वह सदैव आतुर रहता है। सम्भवतया

विस्मय से उसकी चीख निकल जाती है कि वह कहाँ गया ? यही जिज्ञासा उसे अपने चारों और की दुनिया के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए निरन्तर बढ़ती रहती है। अर्थात् आजीवन यही वजह है कि मनुष्य अपने चारों ओर की घटनाओं अथवा परिवर्तनों एवं उपलब्धता के बारे में नवीनतम व अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सदैव व्यग्र रहता है। उसके पास जो जानकारी है। उसे दूसरों में बांटने के लिए भी उसमें व्याग्रता होती है इसीलिए अक्सर यह कहा जाता है कि लोगों के पेट में बात पचती नहीं है। अपनी बात कहना और सुनना सामाजिक प्राणी का स्वाभाविक धर्म बन गया

है। इसीलिए अपने पास संचित जानकारी की वह मुश्किल से ही अपने पा रोके रख सकता है। अतः जानकारी मात्र व जानकारी देना मनुष्य के स्वाभाविक गुण बन गये हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस तरह की जानकारी का समाचार का नाम दियसा गया है। इसका यह आशय यह कर्तव्य नहीं है कि हरबात हर आफवाह और हर जानकारी समाचार हैं। विभिन्न जिन संचार माध्यमों जैसे, रेडियो टेलीविजन, समाचार पत्र आदि वर्तमान के समय में मानवाधिकारों के सजग जागरूक रहे हैं। सभी माध्यमों ने समान रूप से मानवाधिकारों की खबरों पर विशेष रुचि दिखाते हुए शोषण, उत्पीड़न आदि समाचारों को प्रत्येक दिन भर प्रत्येक अंक में प्रकाशित करके मानवाधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मानवाधिकार और मीडिया :-

आज के प्रगतिशील समाज में मीडिया की घर-घर तक पहुँच होने के कारण नयी क्रान्ति का सूत्रपात हो गया है। मानवाधिकारों का इनके माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। लेखकों, रंगमंच निर्देशकों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, फिल्म निर्माताओं, सीरियल निर्देशकों के माध्यम से मानवाधिकारों को जन-जन तक पहुँचाया जा सकता है। वर्तमान युग में प्रकाशन तथा संचार से आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अधिकारों की समुचित अभिव्यक्ति द्वारा एक सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा की जा सकती है।

मानव अधिकार ऐसे विचार हैं, आदर्श हैं, जिसमें स्वतंत्र प्रजातंत्र का विकास होता है। यह बात मीडिया को जनसामान्य में प्रसारित करना चाहिए। इसके ऐसे सकारात्मक प्रयोग की आवश्यकता है। जिससे इन महान आदर्शों का सभी को ज्ञान हो सके। इससे समाज में जीवन के आदर्श तथा जीवन के गुणों का विकास होगा। जब तक सभी लोगों में यह भावना नहीं आ जाती कि सभी मानव के अधिकारों को उन्हें सभी जगह अपनाना ही है तथा उनकी भरपूर रक्षा करनी है तब तक यह एक स्वप्न मात्र ही रह जायेंगे और इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य मीडिया ही कर सकती है।

मानवाधिकारों की प्रतिरक्षा में प्रभावशाली सरकार निष्पक्ष न्याय प्रणाली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवेदनशील नागरिक तथा स्वस्थ जनमत की भी विशेष भूमिका है। प्रगतिशील तथा जागृत संसार माध्यम का प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं –

1. जनता की भावनाओं को सम्पन्न तथा उनको अभिव्यक्ति प्रदान करना।
2. समाज में राष्ट्रीय एकता बन्धुत्व निष्पेक्षता मानवीय गरिमा स्वतंत्रता एवं समानता की भावनाओं का निर्माण तथा संवर्धन करना।
3. देश प्रेम, राष्ट्रीयता, विकास कार्यों में सहभागिता को प्रेरित करना।
4. नागरिक के रूप में अधिकारों तथा कर्तव्यों का जान करना।
5. राष्ट्र की जटिल समस्याओं का निदान ढूँढ़ने के लिये जनमत को प्रशस्त करना।
6. मानव अधिकारों की प्रतिरक्षा हेतु अधिकारों के हनन को निर्भीकता के साथ उजागर करना तथा राजतंत्र, पुलिस तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अथवा आतंकवादियों के मानव अधिकारों के हनन को जनता के सामने निर्भीकता के साथ साहसरूपक प्रस्तुत करना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रतिमाह आयोग के कार्यों और मानवाधिकार संरक्षण में उसकी प्रशंसनीय भूमिकाओं से सम्बन्धित रिपोर्टों को प्रकाशित कर जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। रेडियो, आकाशवाणी, टीवी चैनलों के माध्यम से समय-समय पर मून राइट्स वाचजैसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इस प्रकार प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों मिल कर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अपनी रचनात्मक भागीदारी निभा रहे हैं तथा मानवाधिकारों की प्रतिरक्षा में सतर्क तथा संवेदनशील प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि कि संचार माध्यमों (मीडिया) की भी अपनी समस्याएँ व सीमायें हैं, इसके बावजूद भी मीडिया की भूमिका प्रशंसनीय रही है।

समाचार पत्र :-

दोनों हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों रिहन्दुस्तानश् एवं शृजाज में मानवाधिकार संबन्धी समाचार बड़े ही संतुलित ढंग से प्रकाशित होता रहा है। परन्तु बढ़ते हुए उपभोक्तावाद के कारण मानवाधिकार सम्बन्धी समाचार बढ़ तो रहे हैं लेकिन उनमें गुणवत्ता दोष स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। प्रासंगिक यह है कि मानवाधिकार संबन्धी समाचार पूर्णतः नये साज-सज्जा के साथ आते रहे हैं लेकिन कभी-कभी उनमें नीरसता झलकती है उदाहरण के लिए हिन्दी दैनिक समाचार पत्र आज मानवाधिकारों के प्रति थोड़ा उत्साह कम है। जबकि हिन्दी दैनिक समाचार हिन्दुस्तान का इन खबरों के प्रति बड़ा ही जुझारू नजरिया है। महत्वपूर्ण यह है कि हिन्दुस्तान का पाठकों के साथ गहरा तादात्म है। यही बात उसे अन्य समाचार पत्रों से अलग करती है। इसका मानवाधिकारों के प्रति प्रसंशनीय नजरिया है।

पाठकों की प्रतिक्रिया प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में पाठकों की प्रतिक्रिया जानने हेतु हिन्दी दैनिक समाचार पत्र रिहन्दुस्तानश् एवं आज पढ़ने वाले 50 पाठकों के मध्य लघु सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण गोरखपुर नगर के निवासियों के मध्य गया। सर्वेक्षण पूरीतरह साक्षात्कार / अनुसूची पर आधारित था। बड़े ही उत्साह वर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं, इस लघु शोध सर्वेक्षण में

शामिल अधिकांश लोगों की प्रतिक्रिया यह थी कि मानवाधिकार हनन की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं पर साथ—साथ मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। पाठक इन खबरों के प्रति संवेदनशील भी हैं।

उपसंहार :-

समाचार पत्रों ने अपरोक्ष रूप से मनुष्य के भीतर उसके अधिकारों को जानने और उसके अधिकारों को पाने की ललक पैदा किया है और इसे दूरगामी परिणाम देने वाला कदम माना जाना चाहिए। लेकिन समाचार पत्र आतंकवादी संगठनों और उनसे जुड़े लोगों के साथ कभी—कभी दिखाई देता है, जिससे एक भ्रम की स्थिति यह दिखाई देती है कि मनुष्य के जीवन के हक को छीन लेने वाले आतंकवादियों की पैरवी करने वाले संगठनों को प्रमुखता से स्थान देकर कहीं न कहीं समाचार पत्र ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले भी मानवाधिकार के नाम पर अपने अनैतिक एवं मानव विरोधी कृत्यों पर मुहर लगवाने में फौरी तौर पर सफल हो जा रहे हैं इसलिए समाचार पत्र मानवाधिकार और इसका उल्लंघन करने वाले तत्वों चाहें वह राज्य सत्ता हो या आतंकी संगठनों की सत्ता, विभाजक रेखा नहीं खींच पा रहा है। इससे मानवाधिकारों के हनन करने वालों को तलाशने में असुविधा हो रही है, फिर भी संतोषजनक बात यह है कि समाचार पत्र जन जागरण का कार्य प्रभावी ढंग से कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. रामशरण जोशी साक्षात्कार (सिद्धान्त और व्यवहार) ग्रन्थ शिल्पी, 2021
2. एन.सी. पथ पत्रकारिता का इतिहास तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012
3. रसा मल्होत्रा हिन्दी पत्रकारिता: कल आज और कल, संजय प्रकाशन, दिल्ली, 2017
4. अब्दुल रहीम पर वीजापुर: एसेज ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पब्लिसर्स, 2014
5. अब्दुल रहीम पर वीजापुर: द यूनाइटेड नेशन्स एट फिफ्टी, साउथ एशियन पब्लिसर्स, 2014
6. आर. एस. शर्मा: आसपेक्ट आफ पालिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन इन एंसिय ट इण्डिया, 2019
7. आशीष दास मोहंती, प्रशांत कुमार: भारत में मानव अधिकार, आईवी हाउस, इण्डिया, 2018
8. अवस्थी, सुधा: महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, अरिहन्त पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2015
9. ए. जी. नूरानी हैण्डबुक ऑफ ह्यूमन राइट्स एण्ड क्रिमिनल जस्टिस इन इण्डिया—द सिस्टम एण्ड प्रोसिजर, नई दिल्ली, ओ. 2016
10. प्रभाश जोशी 21वीं सदी पहला दशक सम्पा. सुरेश शर्मा, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2010
11. जवाहरलाल कौल हिन्दी पत्रकारिता का बाजार भाव, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2020
12. रमेश कुमार जैन हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास, हंसा प्रकाशन, जयपुर, 2017